

बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

31 मार्च, 2022

[जल संसाधन - वित्त विभाग - श्रम संसाधन - परिवहन - लघु जल संसाधन - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण - वाणिज्य कर - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - योजना एवं विकास - समाज कल्याण गृह].

Total Short Notice Question- 10

पी.सी.सी. का निर्माण

*107 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड अन्तर्गत भुसौला पंचायत के ग्राम कोरजी-मोहम्मदपुर से राष्ट्रीय उच्च पथ- 98 (नया एन.एच.- 139) तक की सड़क तथा उसी सड़क से निकली हुई नकटी भवानी मंदिर तक की सड़क कहीं पी.सी.सी. है और कहीं कच्ची है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित सड़क का अबतक पी.सी.सी. नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बरसात में सड़क बंद हो जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि खंड 'क' में वर्णित सड़क की पी.सी.सी. ढलाई का कार्य कबतक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी के विरुद्ध कार्रवाई

*112 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या लघु जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-2017 में भू-जल प्रबंधन जैसे चेक डैम से 1.688 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करना था, जिसका सृजन नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्णित द्वितीय कृषि रोड मैप में विगत पांच वर्षों में कुल 30.362 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करना था, जिसके विरुद्ध 6.839 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप सिंचाई क्षमता सृजन पूर्ण नहीं करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नए भवन का निर्माण

*128 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला जेल परिसर में सन् 1667 में निर्मित आवास में 35 से ज्यादा आरक्षी रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस आवास की जर्जर स्थिति को देखकर दस वर्ष पूर्व भवन विभाग के अधिकारियों द्वारा इसके बदले नये आवास के निर्माण का निर्देश दिया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि इस निर्देश के बावजूद अबतक नये भवन का निर्माण नहीं होने पर जान को जोखिम में डालकर किसी तरह जेल आरक्षी इसी जर्जर आवास में रह रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जेल आरक्षी के आवास हेतु नये भवन का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्थिति ठीक कबतक

*158 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना पुलिस लाइन के बैरक में दो सौ जवान रहते हैं, जिनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें फर्श पर ही पटिया बिछा कर सोना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि बैरक में अलग से किचन की व्यवस्था नहीं होने के कारण सोने के स्थान के समीप भोजन बनाना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में बैरक के भीतर पानी घुस जाने से जवानों का पूरा रूटीन अस्त-व्यस्त हो जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैरक की स्थिति को ठीक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

योजनाओं का पूर्ण निराकरण

*159 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि दुर्गावती परियोजना के तहत 33.47 हेक्टेयर में सिंचाई की योजना पर 900 करोड़ रुपए व्यय होने के बावजूद अभी तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के तहत 2.30 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जानी थी, परंतु अबतक मात्र 1.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई का कार्य किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि दादर-अपसढ़ तिलैया योजना के तहत 69 हजार हेक्टेयर में सिंचाई हेतु 26 कि.मी. लंबी नहर की शाखा पर अबतक 3 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि बागमती बाढ़ प्रबोधन योजना के तहत 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने हेतु 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी अबतक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराते हुए दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए समय सीमा के अंदर सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं को पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो

कबतक, नहीं तो क्यों ?

बचाव का कौन-सा उपाय

*160 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड क्षेत्र के बागमती नदी बांध के आसपास पिपराही, मेसौड़ा, रतनपुरा, बासांइयां, महुआ, मीनापुर बलहा आदि दर्जनो गांव में नील गाय एवं घोरपरास के आतंक से किसान परेशान हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त सभी गांवों किसानों की खेती में लगी सभी हरी फसल गेहूं, मक्का, आलू, सरसों आदि को नील गाय एवं घोरपरास द्वारा बर्बाद किया जा रहा है जिसके कारण किसानों की स्थिति दयनीय है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड के गांवों के किसानों की फसल नील गाय एवं घोरपरास द्वारा बर्बाद करने से बचाव का कौन-सा उपाय करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

निगरानी की व्यवस्था

*161 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):

क्या परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गांधी मैदान पटना से एम्स पटना तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सी.एन.जी. बसें परिचालित की जाती हैं, जिनके हर पड़ाव का भाड़ा निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि निर्धारित भाड़ा की वसूली पी.ओ.एस. मशीन से करने की व्यवस्था की गयी है, परंतु सभी यात्रियों को पी.ओ.एस. मशीन से काटी गयी रसीद उपलब्ध न कराकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है, जिससे राजस्व की हानि होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराने, सघन जांच कराने एवं निगरानी रखने की समुचित व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

कौन-सी कार्रवाई

*162 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत पंचायत राज मतेया, खास के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई के साथ बच्चों के भोजन का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिला के कुचायकोट प्रखंड के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाई नहीं हो रही है और दोपहर का बच्चों का भोजन नहीं दिया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि कुचायकोट प्रखंड के समाज कल्याण पदाधिकारी एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सेविका एवं सहायिका की मिलीभगत से लूट-खसोट की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कोई कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

खुदाई का कार्य

*163 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या जल संसाधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला की लखनदेई नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष सोनबरसा प्रखंड के दर्जनों गांव को बाढ़ की तबाही से बचाने के लिए सन् 2018 में भारत-नेपाल सीमा पर खाप-खोपराहा गांव के समीप 1.5 किलोमीटर में खुदाई कर लखनदेई नदी की पुरानी धार को दुलारपुर घाट में मिला देने योजना बनी थी;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या खुदाई होने वाली जमीन के 156 किसानों में से अबतक मात्र 4 किसानों को ही जमीन का मुआवजा मिला है, जिस कारण खुदाई का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है, यदि हां तो शेष किसानों को जमीन का मुआवजा देकर सरकार कबतक खुदाई का कार्य प्रारम्भ कराना चाहती है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*164 श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सोनबरसा प्रखंड के पिपरा परसाईन टोले रामनगर तथा परिहार प्रखंड के बथुआरा पंचायत अंतर्गत मुजौलिया, बाड़ा, लहुरिया तथा नरंगा गांव के कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने से हमेशा अवांछित तत्वों का प्रवेश इन कब्रिस्तानों में हो जाता है यदि हां तो कबतक इन कब्रिस्तान की घेराबंदी करायेगी ?
